मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या-151/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 153/2017)
श्रीमती राम श्री आदि बनाम प्रेमचन्द्र आदि

03.10.2020

3 बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती रामश्री एवं प्रिन्स कुशवाहा नाबालिग जरिये दादी एवं संरक्षिका श्रीमती रामश्री द्वारा इस आशय से दाखिल किया गया है कि उपरोक्त याचिका में दिनाँक 17.05.2018 को निर्णय हो चुका है, जिसके अनुसार विपक्षी सं. 3 के विरूद्ध 3,92,048/- रु. मय 7 प्रतिशत ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया था। उक्त के अनुपालन में प्रार्थीगण ने मुब. 4,23,131/- रु. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्राप्त कर लिए हैं। न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण/याचीगण ने माननीय उच्च न्यायालय में एफ.ए.एफ.ओ. सं. 3436/2018 प्रस्तुत की गई थी, जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 12.02.2020 को करते हुए 9,70,611/- रु. की वृद्धि कर दी व इस धनराशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनाँक से भुगतान की दिनाँक तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया। साथ ही योगदायी जिसमें याचीगण द्वारा उक्त प्राप्त की गई धनराशि समायोजित होनी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण में मुब. 11,73,302/- रु. न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक के खाते में जमा कर दिए गये हैं, जिसका यू.टी.आर. नं. AXISP 00141585829 है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि उक्त धनराशि मय ब्याज उन्हें दिलाए जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती रामश्री का शपथपत्र, न्यायाधिकरण द्वारा उक्त एम.ए.सी.पी. सं. 154/2017 श्रीमती रामश्री आदि बनाम प्रेमचन्द्र आदि में एम.ए.सी.टी./अपर जिला जज न्यायालय सं. 2, झाँसी द्वारा पारित डिक्री की सत्यप्रतिलिपि, एफ.ए.एफ.ओ. सं. 3435/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 12.02.2020 की छाया प्रति, प्रार्थीगण के आधार कार्ड, प्रार्थनापत्र दिनाँकित 02.07.2018 व 27.08.2020 की छाया प्रतियाँ व प्रार्थिया रामश्री के बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने अपने बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया रामश्री का शपथपत्र भी दाखिल किया गया है, जिसमें उसने अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनाँकित 12.02.2020 के विरूद्ध न तो शपथकर्ती द्वारा न ही विपक्षीगण के द्वरा माननीय उच्चतम् न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत की गयी है न ही कोई मामला विचाराधीन है न ही स्थगन आदेश है। एम.ए.सी.पी. सं. 153/2017 मे पारित निर्णय दिनाँकित 17.05.2018 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं. 3435/2018 मे पारित निर्णय दिनाँकित 17.05.2018 जिला न्यायालय झाँसी व उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय एफ.ए.एफ.ओ. सं. 3435/2018 श्रीमती रामश्री बनाम प्रेमचन्द्र आदि में पारित आदेश दिनाँकित 12.0.2.2020 के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा मुब. 13,62,659/- रु. व इस धनराशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनाँक से भुगतान की दिनाँक तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसमें याचीगण द्वारा उक्त प्राप्त की गई धनराशि भी समायोजित होनी है तथा साथ ही योगदायी उपेक्षा समाप्त कर दी गई है। विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण में मुब. **11,73,302/-** रु. न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक के खाते में जमा कर दिए गये हैं। प्रार्थी सं. 1 को इस धनराशि मे से रु. 2,00,000 प्राप्त होने हैं जिन्हे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे 5 वर्ष के लिए सावधि जमा मे निवेशित किया जाना है तथा अवशेष धनराशि को प्रिंस कुशवाहा के नाम प्राकृतिक संरक्षक दादी के साथ संयुक्त खाते मे पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना मे निवेशित किये जाने है। इसपर अर्जित 50% ब्याज पोस्ट ऑफिस के आवर्ती जमा योजना मे निवेशित किया जाना है तथा शेष अर्जित 50% ब्याज प्रिंस कुशवाहा के बालिग होने तक उसके कल्याण के लिए प्रयोग मे लाए जाने है। प्रिंस कुशवाहा के बालिग होने पर निवेशित धनराशि प्राप्त कर सकेंगें। तदनुसार प्रार्थीगण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेशानुसार जमाशुदा क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

सिन्डीकेट बैंक (वर्तमान में कैनरा बैंक) शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. 153/2017 (प्रकीर्ण वाद सं. 151/2020 श्रीमती रामश्री आदि बनाम प्रेमचन्द्र आदि) के प्रकरण में उक्त जमा क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.03 13:41:11 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

Applicant/ petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Instructions	Bank
1.Smt. Ramshri	200000	17	FD for 5 Years	___	Any Nationalized Bank
2. Prince Kushwaha	973302	83	In Monthly Income Scheme upto Majority with Joint name of Smt. Ramshri	1. 50% of the interest earned be reinvested in a recurring deposit scheme of post office 2. 50% interest shall be used for welfare of the minor Prince Kushwaha till he attains majority and this monthly incon shall be transferred in the Bank a/c of natural guardian Smt. Ramshri No. 92352010001398 IFSC-SYNB0009235	Post Office
Total	1173302	100			

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकरण को प्रेषित की जाय। 3 बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।